कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

प्रबन्ध–मण्डल की 37वीं बैठक दिनांक 10.08.2020 (By Circulation)

कार्यवृत

प्रबन्ध–मण्डल की 37वीं बैठक कोरोना/कोविड–19 महामारी के चलते व्यक्तिशः संभव न होने के कारण तथा राजभवन सचिवालय के द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना 17 अगस्त 2020 तक मांगी जाने के फलस्वरूप समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए Circulation method से अनुमोदन किए जाने संबंधी प्रस्ताव, माननीय सदस्यों को प्रेषित किये गये।

मद संख्या–1	:	**विश्वविद्यालय परिसर में संविधान उद्यान का निर्माण एवं उसमें संविधान स्तम्भ को स्थापित किए जाने के प्रस्तावों का अनुमोदन करना।** व्याख्यात्मक टिप्पणी – राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्र क्रमांक 115 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क का निर्माण कर उसमें संविधान स्तम्भ की स्थापना किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। उक्त कार्य को औपचारिक रूप से संपन्न करवाये जाने हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 421–29 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने नागार्जुन भवन के सामने के बांयी ओर के भाग को संविधान पार्क के रूप में विकसित करने की अनुशंषा की है। राज्यपाल सचिवालय राजभवन, जयपुर के पत्र क्रमांक 482 दिनांक 07.08.2020 के संलग्न प्रोफोर्मा में सिंडीकेट/वैधानिक समिति (प्रबंध मण्डल) से अनुमोदन प्राप्त करने का उल्लेख है, जिसकी निरंतरता में राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त संविधान उद्यान मय संविधान स्तंभ का प्रारूप चित्र तथा गठित समिति की अनुशंषाएं प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। वर्तमान में कोरोना/कोविड–19 महामारी के चलते प्रबन्ध मण्डल की बैठक व्यक्तिशः संभव न होने के कारण तथा राजभवन सचिवालय के द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना 17 अगस्त 2020 तक चाही गई है, अतः समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए Circulation method से उक्त प्रस्तावों का अनुमोदन किए जाने संबंधी प्रस्ताव माननीय सदस्यों को प्रेषित है।
निर्णय	:	राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्र क्रमांक 115 दिनांक 19.06.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क के निर्माण व संविधान स्तम्भ की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

कुलसचिव एवं सदस्य सचिव